रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2015/फाल्गुन 18, 1936
No. 76] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2015/PHALGUNA 18, 1936

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
अधिसूचना

गुड़गांव, 30 जनवरी, 2015

सं. जेईआरसी-4/2009.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 45(5) के साथ पठित धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इसके कारण प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए) वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव और प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक कार्यसाधकता के आधार पर गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम, 2009 तथा गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) प्रथम संशोधन विनियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भण :—

(i) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षदीप और पुड्डुचेरी संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होंगे।

(iii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निम्नलिखित विनियम 1(iv) जोड़ा जाता है ;

विनियम 1(iv) ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (2) के खंड (एक्स) और (जेडए) के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वितरण लाइसेंसधारी के निष्पादन मानक तथा विद्युत आपूर्ति कोड के साथ सामंजस्य रखेंगे। 'इन विनियमों में कोई विसंगति होने के मामले में लाइसेंसों के निष्पादन के मानक और विद्युत आपूर्ति कोड अभिभावी विद्यमान रहेंगे।'

3. विनियम 3 में संशोधन :

1. प्रथम संशोधन विनियम 2013 में विनियम 3 (4) (i) को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

फोरम का अध्यक्ष एक सेवा-निवृत्त व्यक्ति होगा जिसके पास इंजीनियरिंग, विशेषकर इलेक्ट्रिकल/मकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होगी और उसने विद्युत क्षेत्र में कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर कार्य किया हो और उसे कम से कम 20 वर्ष का अनुभुव हो या कोई सेवा-निवृत्त जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश या कोई सेवा-निवृत्त न्यायिक अधिकारी, जिसे विधि/न्यायिक सेवा का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो।

2. प्रथम संशोधन विनियम, 2013 में विनियम 3 (4) (i) और 3 (4) (ii) के अंतर्गत निम्नलिखित 'टिप्पणी' को जोड़ा जाता है:

टिप्पणी: तथापि, आयोग लक्षद्वीप के मामले में वहां मौजूद विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अध्यक्ष और/या सदस्य के पद के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों में छूट दे सकता है, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

3. प्रथम संशोधन विनियम, 2013 में विनियम 3 (4) (iii) में "होगा" शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है:

"विधि/लोक प्रशासन/पत्रकारिता/अर्थशास्त्र/राजनैतिक विज्ञान या समकक्ष में न्यूनतम स्नातक डिग्री रखने वाला व्यक्ति, और"

4. "प्रथम संशोधन विनियम, 2013 में विनियम 3 (5) में "सदस्य" शब्द निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

"अध्यक्ष और सदस्य"

5. प्रथम संशोधन विनियम, 2013 का विनियम 3 (6) :

मूल विनियमों के प्रथम संशोधन में क्र.सं. 8 के सामने दिए गए शीर्षक को हटाया जाता है। तथापि, इसमें दिए गए पाठ को प्रथम संशोधन के क्र.सं. 7 के अंतर्गत अलग पैरा के रूप में जोड़ा जाता है।

6. प्रथम संशोधन विनियम, 2013 का विनियम 3 (7) (ii) :

विनियम 3 (7) (ii) के अंतर्गत 'अध्यक्ष' शब्द के बाद "उपर्युक्त विनियम 3 (7) (i) में उल्लिखित के अलावा" शब्द हटाए जाते हैं ।

4. प्रथम संशोधन विनियम, 2013 में विनियम 4 (3) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:

1. विनियम 4 (3) के अंतर्गत 'लाइसेंसधारी' शब्द के बाद "और व्यय को आगे पास करने की अनुमति दी जाएगी" शब्द जोड़ा जाए।

2. मूल विनियम, 2009 का विनियम 4 (4)

मूल विनियम, 2009 का विनियम 4(4) हटाया जाता है।

5. मूल विनियम, 2009 के विनियम 5 में संशोधन

विनियम 5(6) के बाद, विनियम 5 (5) से (10) तक की संख्या को विनियम 5 (7) से (12) लिखा जाता है।

6. मूल विनियम, 2009 के विनियम 6 के अंत में संशोधन

मूल विनियम, 2009 के विनियम 6 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:—

"गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्य) विनियम, 2009 में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार प्रथम और द्वितीय संशोधन विनियम के साथ उक्त समय में और उक्त ढंग से पढ़ा जाता है।

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/ असा./218 आई (296)/14]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 30th January, 2015

No. JERC-4/2009.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 45(5) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), based on experience gained over a period of time and administrative and operational expediency, makes the following amendments to Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009 and Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) First Amendment Regulations, 2013.

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) (Second Amendment) Regulations, 2015.

(ii) These Regulations shall be applicable in the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry.

(iii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Following Regulation 1 (iv) is added:—

Regulation 1 (iv) These Regulations shall be construed harmoniously with Standards of Performance of distribution licensees and with the Electricity Supply Code specified by the Commission under the provisions of clauses (x) and (Za) of Sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003. In 'case of any inconsistency with these Regulations, the Standards of Performances of licensees and the Electricity Supply Code, shall prevail.'

3. Amendment in Regulation 3 :—

1. **Regulation 3 (4) (i) in First Amendment Regulations, 2013 is substituted to read as under:**
The Chairperson of the Forum shall be a retired person possessing a degree in engineering, preferably in electrical/ mechanical engineering and having served as Executive Engineer or equivalent in the Power Sector and having at least 20 years experience or Retired District Judge/ Additional District Judge or a retired judicial officer having at least 15 years of experience in legal/judicial service.
2. **Following 'Note' is added under Regulations 3 (4) (i) and 3 (4) (ii) in First Amendment Regulations, 2013:**
"Note:- However, the Commission, in the case of Lakshadweep keeping in view the special circumstances existing there, may for reasons to be recorded in writing relax the conditions specified herein with respect to the eligibility criteria for the post of Chairperson and/ or Member."
3. **Following is inserted after the words 'shall be' in Regulation 3 (4) (iii) of First Amendment Regulations, 2013:**
"A person possessing minimum Bachelor Degree in Law/Public Administration/Journalism/Economics/Political Science or equivalent and"
4. **The word 'Member' is substituted in Regulation 3 (5) of First Amendment Regulations, 2013 as under:—**
"the Chairperson and the Member."
5. **Regulation 3 (6) of First Amendment Regulations, 2013:**
Heading appearing against Sl. No. 8 in the first amendment of the principal Regulations is deleted. However, the text as contained therein is added as a separate paragraph under Sl. No. 7 of the first amendment.
6. **Regulation 3 (7) (ii) of First Amendment Regulations, 2013**:
Under Regulation 3 (7) (ii), after the word 'Chairperson' the words "other than mentioned in Regulation 3 (7) (i) above" have been deleted.

4. Following is added at the end of Regulation 4 (3) of First Amendment Regulations, 2013:

1. Under Regulation 4 (3) after the word 'licensee' the words "and will be allowed as a pass through expense" are added.
2. **Regulation 4 (4) of the Principal Regulations, 2009:**
Regulation 4 (4) of the Principal Regulations, 2009 stands deleted.

5. Amendment in Regulation 5 of the Principal Regulations, 2009:
After Regulation 5 (6), Regulation 5 (5) to (10) are renumbered as Regulation 5 (7) to (12).

6. Amendment in Regulation 6 of the Principal Regulations, 2009:
Following is added in the end of Regulation 6 of the Principal Regulations, 2009:
"within such time and in such manner as specified by the Commission in Joint Electricity Regulatory Commission for State of Goa and Union Territories (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009 read along with 1st and 2nd Amendments Regulations.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./218-I/(296)/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.